न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 14 / 2024

अपीलांट–
शान्ती पुत्री मगाराम पत्नी लुणाराम
जाति भील निवासी अजबपुरा हाथमा
तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. श्रीमान नायब तहसीलदार प्रथम बाडमेर
2. अंतरी पुत्री वेणाराम पत्नी सोमाराम
3. तुलसी पुत्री वेणाराम पत्नी लालाराम
4. दरिया पुत्री वेणाराम पत्नी सामराराम
5. सुमराराम पुत्र जामाराम
6. मोटाराम पुत्र जामाराम
7. नखताराम पुत्र अलादान
8. पपाराम पुत्र अलादान
9. सुरताराम पुत्र अलादान
10. धापु पत्नी अलादान
11. जुगता पुत्र तेजाराम के कायम मुकाम
    11.1 शैतानराम पुत्र जुगताराम
    11.2 अर्जुन पुत्र जुगताराम
    11.3 चणनी पत्नी जुगताराम
12. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे शाखा रामसर

जाति भील निवासी अजबपुरा हाथमा तहसील रामसर जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश हाथमा के नामान्तरकरण सं. 321 स्वीकृति दिनांक 15.02.1992 जो तहसीलदार बाडमेर प्रथम द्वारा पारित किया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री दलपत परमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 2 से 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 12 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफोंमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 21.01.2026

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम हाथमा तहसील रामसर के नामान्तरकरण सं. 321 पर नायब तहसीलदार प्रथम बाडमेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 15.02.1992 के विरूद्ध दिनांक 08.07.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा हाथमा के खसरा नम्बर 136, 168 व 30 रकबा क्रमशः 275–02, 73–13 व 0–01 बीघा भूमि वेणा, जामा, अलादान, जुगता पि0 तेजा साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि का नायब तहसीलदार प्रथम बाडमेर द्वारा नामान्तरकरण सं. 321 दिनांक 15.02.1992 को स्वीकृत कर लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि नायब तहसीलदार प्रथम बाडमेर द्वारा अपीलकर्ता को फौत बताते हुए उसका फौतगी का नामान्तरकरण भरने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में फौतगी के नामान्तरकरण भरने से पूर्व तथाकथित मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व वादग्रस्त खेतों का मौका निरीक्षण किया गया, अगर वादग्रस्त खेतों का मौका निरीक्षण किया जाता तो अवश्य ही अपीलकर्ता का वादग्रस्त खेतों पर कब्जा व काश्त दिख जाता तथा वह जीवित है, इसका भी प्रमाण मिल जाता। विधिनुसार फौतगी संबंधी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नामान्तरकरण पारित करने का क्षेत्राधिकार केवल संबंधित ग्राम पंचायत को ही है। ग्राम पंचायत द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर ही 45 दिन के बाद तहसीलदार ऐसे नामान्तरकरण को सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से कानूनन व इंसाफत भूल की है, जिससे आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन में यह भी प्रकट किया है कि अपीलकर्ता के पूर्वज वेणाराम के स्वर्गवास होने पर उनके विधिक उतराधिकारी मगा के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था तथा मुतवफी मगाराम का स्वर्गवास होने पर पटवार हल्का द्वारा मगाराम की पुत्र अपीलकर्ता शान्ती कुमारी नाबालिग अवस्था में ही 2 मास पहले फौत हो जाने से नामान्तरकरण उसके उतराधिकारियों के नाम से कॉलम संख्या 14 में इन्द्राज किया गया तथा उतरदाता संख्या 1 द्वारा इस पर किसी प्रकार की जांच करवाए बिना ही नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 12.02.1992 को स्वीकृत कर दिया गया। जिसका ज्ञान तत्समय अपीलकर्ता को नहीं हो सका तथा अपीलकर्ता निरंतर वादग्रस्त खेतों पर अपने 1/16 हिस्से पर काबिज चली आ रही है, लेकिन अर्सा 10 दिन पूर्व उतरदाता ने अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त में दखलदांजी करते हुए अपीलकर्ता वादग्रस्त खेतों से अपना हिस्सा हटा लेवे तब अपीलकर्ता को अपने हक हकुकोपर संशय उत्पन्न होने पर उसके द्वारा वादग्रस्त खेतों के राजस्व रेकर्ड की नकले व नामान्तरकरण की नकले लेने हेतु दिनांक 27.06.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकले दिनांक 29.06.2024 को प्राप्त की तब अपीलकर्ता को सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलकर्ता द्वारा यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है फिर भी अपील को प्रस्तुत करने जो विलंब हुआ है वह सद्भावि विलम्ब है, जिसे क्षमा किए जाने हेतु अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट सं. 2 से 6 के अधिवक्ता द्वारा इकबाली जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार प्रथम बाडमेर द्वारा मौजा हाथमा के खसरा संख्या 136, 168 व 30 रकबा क्रमशः 275–02, 73–13 व 0–01 बीघा भूमि पर नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 15.02.1992 निरस्त करवाते हुए अपीलकर्ता का नाम अंकित करवाने के आदेश फरमाने वास्ते निवेदन किया है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि नायब तहसीलदार प्रथम बाडमेर द्वारा अपीलकर्ता को फौत बताते हुए उसका फौतगी का नामान्तरकरण भरने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में फौतगी के नामान्तरकरण भरने से पूर्व तथाकथित मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व वादग्रस्त खेतों का मौका निरीक्षण किया गया, अगर वादग्रस्त खेतों का मौका निरीक्षण किया जाता तो अवश्य ही अपीलकर्ता का वादग्रस्त खेतों पर कब्जा व काश्त दिख जाता तथा वह जीवित है, इसका भी प्रमाण मिल जाता। विधिनुसार फौतगी संबंधी नामान्तरकरण पारित करने का क्षेत्राधिकार केवल संबंधित ग्राम पंचायत को ही है। ग्राम पंचायत द्वारा असर्मथता व्यक्त करने पर ही 45 दिन के बाद तहसीलदार ऐसे नामान्तरकरण को सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से कानूनन व इंसाफत भूल की है। अपीलकर्ता के पूर्वज वेणाराम के स्वर्गवास होने पर उनके विधिक उतराधिकारी मगा के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था तथा मुतवफी मगाराम का स्वर्गवास होने पर पटवार हल्का द्वारा मगाराम की पुत्र अपीलकर्ता शान्ती कुमारी नाबालिग अवस्था में ही 2 मास पहले फौत हो जाने से नामान्तरकरण उसके उतराधिकारियों के नाम से कॉलम संख्या 14 में इन्द्राज किया गया तथा उतरदाता संख्या 1 द्वारा इस पर किसी प्रकार की जांच करवाए बिना ही नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 12.02.1992 को स्वीकृत कर दिया गया। जिसका ज्ञान तत्समय अपीलकर्ता को नहीं हो सका तथा अपीलकर्ता निरंतर वादग्रस्त खेतों पर अपने 1/16 हिस्से पर काबिज चली आ रही है, लेकिन अर्सा 10 दिन पूर्व उतरदाता ने अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त में दखलदांजी करते हुए अपीलकर्ता वादग्रस्त खेतों से अपना हिस्सा हटा लेवे तब अपीलकर्ता को अपने हक हकुकोपर संशय उत्पन्न होने पर उसके द्वारा वादग्रस्त खेतों के राजस्व रेकर्ड की नकले व नामान्तरकरण की नकले लेने हेतु दिनांक 27.06.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकले दिनांक 29.06.2024 को प्राप्त की तब अपीलकर्ता को सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलकर्ता द्वारा यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है फिर भी अपील को प्रस्तुत करने जो विलंब हुआ है वह सद्भावि विलम्ब है, जिसे क्षमा किए जाने हेतु अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। जिसे रेस्पोडेंट्स ने भी स्वीकार किया हैं एवं पक्षकारान ने सहमति से उक्त दुरूस्ती करवाते हुए अपीलकर्ता का नाम अंकित करवाने के आदेश

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

फरमाने वास्ते निवेदन किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामसर द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 321 दिनांक 15.02.1992 को अपास्त किया जाता है। इसके साथ तहसीलदार रामसर को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस एवं सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रकिया पूर्ण संपन्न करें।

9. निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)